आर्नोल्ड ब्रेख्त और न्याय की धारणा (Arnold Brecht and Concept of Justice) - राजनीति विज्ञान के आधुनिक विद्वानों में सबसे अधिक प्रमुख रूप में आर्नोल्ड ब्रेख्त के द्वारा अपनी पुस्तक Political Theory में न्याय के सिद्धांत की विवेचना की गयी है। उनका कथन है कि न्याय की धारणा वांछित स्थिति के प्रति हमारे स्वभाव पर निर्भर करती है और यह तो एक ऐसे बर्तन की भाँति है, जिसके कई तल होते हैं।

परम्परागत न्याय - न्याय की परम्परागत धारणा रीति-रिवाज, प्रथाओं और परम्पराओं पर आधारित होती है। यह उन मूलभूत संस्थाओं को स्वीकार करती है जो हमारे दैनिक सामाजिक जीवन की आधार है। इस प्रकार की मूलभूत संस्थाओं या प्रथाओं में प्रमुखतया निम्न पाँच है। एक पत्नी विवाह प्रथा, परिवार, निजी सम्पत्ति, पैतृक धन के सम्बन्ध में उत्तराधिकार की व्यवस्था तथा समझौता करने की स्वतन्त्रता और समझौते की बाध्यकारी शक्ति। जब व्यक्ति इन आधारभूत संस्थाओं के अनुसार आचरण करता है, तब वह न्याय भावना के अनुसार होता है और जब इनका उल्लंघन होता है, तब वह न्यायसंगत नहीं होता है।

अपरम्परागत न्याय - जब हम न्याय की परम्परागत संस्थाओं को स्वीकार करने के बजाय उनकी अपने दृष्टिकोण से आलोचना करते और मूल्यांकन करते है तब हम अपरम्परागत न्याय की धारणा में प्रवेश करते है। अपरम्परागत न्याय के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न समयों पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा न्याय को अलग-अलग मापदण्डों के आधार पर परखा गया और जाँचा गया है। दार्शनिक काण्ट ने कहा है कि यदि पृथ्वी पर कोई परम मूल्यवान वस्तु है, तो वह व्यक्ति का गौरव और महत्व है। 19 वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने केवल व्यक्ति की भलाई को ही न्यायसंगत माना, जबकि संघवादियों के लिए संघ की भलाई ही न्यायसंगत है।

Avinash

वास्तव में, न्याय क्या है, वह व्यक्ति विशेष की व्यक्तिगत धारणा पर निर्भर करता है। विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए भिन्न-भिन्न मूल्य न्यायपूर्ण हैं। कुछ प्रमुख राजनीतिक दलों और उनके मूल्यों का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

राजनीतिक दल	प्रमुख न्याय मूल्य
1. लोकतन्त्रवादी	बहुमत
2. समाजवादी	समानता
3. उदारवादी	स्वतन्त्रता
4. परम्परावादी	परम्परा, राष्ट्रीय एकता, शक्ति
5. राष्ट्रवादी	राष्ट्र
6. धार्मिक दल	ईश्वरीय कथन
7. यथार्थवादी	सत्ता
8. फासिस्टवादी व नाजी पार्टी	नेतृत्व, समूह एवं राष्ट्र
9. उपयोगितावादी	प्रसन्नता, उपयोगिता
10. स्वतन्त्रतावादी	सभ्यता, प्रसन्नता, एकता, शान्ति, अनुरूपता

इस प्रकार प्रत्येक दल अपनी विचारधारा के दृष्टिकोण से न्याय का मापदण्ड रखता है और इनमें से कौन सा विचार ठीक है, यह निर्णय कर सकना निश्चित रूप से बहुत अधिक कठिन है।

न्याय के सार्वलौकिक और स्थिर आधार तत्व—

न्याय क्या है? यह बहुत कुछ सीमा तक व्यक्ति के अपने विश्वास और अपनी धारणा पर निर्भर करता है। फिर भी कुछ ऐसे तत्व हैं, जो न्याय की सभी धारणाओं में विद्यमान हैं और जिन्हें न्याय के आधार तत्व कहा जा सकता है। बेन्कर के द्वारा अपनी पुस्तक Political Theory में इन आधार तत्वों का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है:

Anirudh

(ii) सत्य - न्याय के प्रशासन में तथ्यों की सत्यता का बहुत अधिक महत्व है।

(iii) मूल्यों के आधारभूत क्रम की सामान्यता - विभिन्न मामलों के विषय में विचार करते हुए हमारे द्वारा न्याय की एक ही धारणा को लागू किया जाना चाहिए। यह नितान्त अनुचित होगा कि हमारे द्वारा एक मामले में न्याय की एक धारणा को और दूसरे मामले में न्याय की किसी अन्य धारणा को लागू किया जाय।

(iii) कानून के समक्ष समानता या समानता का व्यवहार - कानून के सामने सभी समान होने चाहिए और सबके प्रति समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। एक ही प्रकार की परिस्थितियों में मनमाने ढंग से भेद करना अन्यायपूर्ण है।

(iv) स्वतन्त्रता - अनुचित रुकावटों के अलावा मनुष्य की स्वतन्त्रता पर रोक नहीं लगायी जानी चाहिए। मनमाने ढंग से व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर रुकावटें लगाना अन्यायपूर्ण है।

(v) प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान - जो कार्य व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर हैं और जो कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए असम्भव है, उन्हें करने के लिए व्यक्ति को बाध्य करना न्याय भावना के विरुद्ध है। अतः जिन कानूनों या आदेशों का पालन करना मनुष्य के लिए सम्भव नहीं है, ऐसे कानूनों या आदेशों की अवहेलना करने पर व्यक्ति को दण्ड देना या उसकी निन्दा करना भी अन्यायपूर्ण है। उदाहरण - बहुत अधिक वृद्ध, अन्धे या अपंग व्यक्ति के लिए समाज की दया के आधार पर जीवन व्यतीत करना न्यायपूर्ण है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ठीक है उसके लिए खुद काम करके रोजी कमाना ही न्यायपूर्ण है।